पंचायती राज संस्थाओं में नगर पंचायत का महत्व

राजन पंडित*

पंचायती राज संस्थाओं में नगर पंचायत का विशेष रुप से इस विशिष्ट अर्थों में होता है कि ऐसे सीमांकन वाले क्षेत्र ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मध्य की अवस्था है। महत्मा गांधी मानते थे कि ''भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। यदि गाँव नष्ट होंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा। अतः महात्मा गांधी सत्ता के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से पंचायत राज संस्थाओं का प्रस्ताव रखा।[1] सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में नया मोड़ पं0 जवाहरलाल नेहरू के उस कथन से आया जिसमें उन्होंने ग्रामीणों को अधिकार देने और उसके विकास के मार्ग स्वयं तय करने के संबंध में कहा गया कि ''गाँव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए। इन्हें काम करने दो चाहे वे हजार गलतियाँ करें। इससे घबड़ाने की आवश्यकता नहीं, ऐसे पंचायतों को अधिकार दो।''

2 अक्टुबर 1952 ई0 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत भारतवर्ष में की गई। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता, सिंचाई, ग्रामोद्योग, सड़क, परिवहन, पशुपालन, बिजली, पानी आदि को समर्पित यह कार्यक्रम विश्व में एक अनुठा विकास कार्यक्रम था परन्तु जागरूकता के अभाव में यह कार्यक्रम अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी।[2] इसलिए इसके बाद 2 अक्टुबर 1953 ई0 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारम्भ की गई लेकिन यह कार्यक्रम भी असफल रहा। परिणामतः इस प्रकार के असफलताओं के बाद नीति–निर्माताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया।[3] तदुपरान्त 1957 ई0 में बलवन्त राय मेहता समिति के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज–व्यवस्था अपने सकारात्मक रुप में दृष्टिगोचर हुआ। पंचायती राज–व्यवस्था अपने सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ी। उसमें एकता, विकास, साम्प्रदायिक–सौहार्द्र सहभागिता, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, सत्ता में भागीदारी, आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व आदि प्रमुख थे।[4] ऐसे उद्देश्य न केवल त्रिस्तरीय पंचायती राज–व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं बल्कि नगर निकायों के अन्तर्गत आनेवाले नगरपालिकाएँ, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए भी अति आवश्यक हैं।

***शोधार्थी, राजनीति शास्त्र विभाग जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)**

शहरी स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं में ब्रिटीश–शासन काल से ही हमारे राष्ट्रीय नेता दिलचस्पी लेते रहे। कांग्रेस यद्यपि कौसिंल में जाने का विरोध किया था, तथापि म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रीक्ट बोर्ड में जाना मना नहीं था।[5] नगर पंचायतों की स्थापना का उद्देश्य, महत्व तथा उनकी उपयोगिता पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गाँधी द्वारा 73वें संवैधानिक संशोधन को राज्यसभा में प्रस्तुत करते समय दिए गए भाषण से परिलक्षित होता है। ''यह संवैधानिक संशोधन, जिसे मुझे पिछले अधिवेशन में पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था, वास्तव में ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी है। यह विधेयक लोगों के लिए है। यह हमारी राजनैतिक व्यवस्था के आधार पर लोकतंत्र का विशाल ढाँचा मजबूत और सुस्थापिता करेगा।[6]

नगर पंचायत का मुख्य कार्य यह है कि वह समय–समय पर स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा नगर क्षेत्र के भीतर यथेष्ठ स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करे। नगर पंचायत को नाला निर्माण करने की पूर्ण शक्ति होती है। मुख्य नगर पंचायत पदाधिकारी अथवा उसके निमित उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी नगर पंचायत की किसी नाली को सुव्यवस्थित रुप से बनवाने की जिम्मेवारी होती है।[7] नगर पंचायत के अनुमति के बिना मुख्य नाले अथवा नगर पंचायत के नाले के ऊपर भवन, रेलमार्ग, नीजी गली निर्मित नहीं हो सकती है। मुख्य नगर पंचायत पदाधिकारी या तो स्वप्रेरणा से अथवा इस निमित प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी के माध्यम से किसी अन्य सम्पति को अर्जित किए बिना चाहे वह नगर पंचायत सीमा के भीतर या बाहर, ऊपर नीचे या इससे लेकर कृत्रिम जल प्रणाली, नाली, अथवा मुख्य नाला या पाईप बिछाए गए हों, को सुव्यवस्थित करता है।[8]

ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन से संबद्ध कार्य नगर पंचायत का कर्तव्य है। नगर पंचायत धारा–10 के उपबंधों के अधीन नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली को लागू करने तथा ऐसे ठोस अपशिष्टो के प्रबंधन एवं संचालन को विनियमित करने तथा अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन प्रसंस्करण और निपटारे से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए उत्तरदायी होती है।[9] धारा–10 के अधीन नगर पंचायत लोकमार्ग का आधार बनाती है, पुल तथा उपमार्ग का भी निर्माण करती है।

नगर पंचायत पदाधिकारी या तो स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से स्टॉल, दुकान, शेड, पैन एवं अन्य भवनों जैसा वह उचित समझे के साथ–साथ नगर पंचायत के बाजारों, बुचड़खानों तथा बाड़ों का उपबंध एवं अनुसरण करता है।[10] व्यवसाय तथा व्यापार करनेवाले व्यक्तियों को सुविधा प्रदान

कर सकेगा तथा बाजार में बेचे जाने वाले सामानों के वनज या नापी करने हेतु बाँट–काँटा एवं मापदण्ड का उपबंध एवं अनुरक्षण करता है।[11] नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भूमि जिसपर पेड़, झाड़ी या बाड़ा उग रहे हों तो ऐसे पेड़, झाड़ी या बाड़े यदि किसी मार्ग में यातायात को बाधा पहुँचाता हो तो नगर पंचायत पदाधिकारी के लिखित आदेश से ऐसे पेड़, झाड़ी या बाड़ा को हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में गृहस्वामी अथवा भूस्वामी को नगर पंचायत पदाधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होती है। नगर पंचायत सांसर्गिक और संक्रामण रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्रान्तर्गत जलाशयों में स्नान करने से रोक लगा सकता है। नगर वानिकी का उन्नयन, सार्वजनिक उद्यानों एवं वाटिकाओं का निर्माण, क्रीड़ास्थलों की व्यवस्था, पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन, प्रदुषण से मुक्ति हेतु वृक्षारोपण, छात्र–छात्राओं को प्रकृति के स्वच्छता हेतु जागरूक करने का अभियान, क्षेत्राधीन जनता की आम समस्या का तात्कालिक निदान, नागरिकों को उनके सामाजिक संरक्षण प्रदान करना, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करना इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य नगर पंचायत के शक्तियों में समाहित है।[12] जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के उपबंधों के आलोक में नगर पंचायत अपने क्षेत्र के भीतर हुए जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराती है तथा विनियमों द्वारा यथा अवधारित शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन करने पर प्रमाण पत्र के रुप में सूचना का उद्धरण आपूर्ति करेगी।[13]

वस्तुतः पंचायती राज संस्थाओं में नगर पंचायत का महत्व अति विशिष्ट है। नगर पंचायत महात्मा गाँधी के सपनों का साकार रुप है। भारतीय लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के सत्ता के विकेन्द्रीकरण के आदर्श प्रारुप में नगर पंचायत अपने शक्तियों एवं अधिकारों के द्वारा अपने क्षेत्राधीन नागरिकों के सर्वांगीण विकास के गति को मजबूत करती है। नगर पंचायतों का गठन, कार्य–योजना, निर्णय प्रणाली इत्यादि गतिविधियाँ सुव्यवस्थित रुप से संचालित एवं सम्पादित होती है। अतः इनमें तनिक भी संशय नहीं है कि जिस परिस्थितियों में जिन उद्देश्यों को लेकर नगर पंचायत के अवधारणा को लाया गया उसका सफल रुप सम्पूर्ण भारतवर्ष में दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

संदर्भ संकेत–

1. पंचायती राज संस्थाएँ : अतीत, वर्तमान एवं भविष्य – डॉ0 सुरेन्द्र कटारिया, पृ0 53
2. भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन – डॉ0 ओ0 पी0 जोशी एवं डॉ0 अरूणा भारद्वाज, पृ0 27
3. वही, पृ0 49
4. वही, पृ0 53

5. भारत में पंचायती राज – अरूणा भारद्वाज (1994) पृ0 72
6. वही, पृ0 93
7. बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007, कंडिका 197
8. वही
9. बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007, कंडिका 209
10. वही, कंडिका 245
11. वही, कंडिका 254
12. नई पंचायती व्यवस्था में संवैधानिक संशोधन एवं राज्य – बल्लभ शरण (1994), पृ0 28
13. जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1969

****